न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं

(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुप्रिया आर. ए. एस.)

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नी महावीर सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 1 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

........वादीया

बनाम

1. बनारसी पत्नी मूलचन्द जाति जाट निवासी दीपलवास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. परमेश्वरी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी दीपलवास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. लिछमा पत्नी बजरंग जाति जाट निवासी दीपलवास तहसील व जिला झुन्झुनूं (मृतक)

   3(1) प्रताप सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति जाट निवासी दीपलवास।

   3(2) सुरेश पुत्र बजरंग जाति जाट निवासी दीपलवास।

   3(3) सावित्री पुत्री बजरंग जाति जाट निवासी दीपलवास।

4. पार्वती पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी दीपलवास तहसील व जिला झुन्झुनूं (मृतक)

   4(1) अजय पुत्र सुमेर सिंह जाति जाट निवासी दीपलवास।

   4(2) चन्द्रकला पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी दीपलवास।

   4(3) नीलम पुत्री सुमेर सिंह जाति जाट निवासी दीपलवास।

   4(4) सुमिता पत्नी सुमेर सिंह जाति जाट निवासी दीपलवास।

   4(5) सुमन पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी दीपलवास।

   4(6) सरोज पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी दीपलवास।

5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं।

........प्रतिवादीगण

वाद संख्याः– 26 / 2023 निर्णय दिनांकः– 05.07.2023

वादी की ओर से एक वाद इस आशय का पेश किया गया कि मौजा ग्राम दीपलवास पटवार हल्का उदावास तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 0.22 हैक्टर जमीन में प्रतिवादी परमेश्वरी पत्नी नेमीचन्द, पार्वती देवी पत्नी सुलतान, लिछमा देवी पत्नी बजरंग व बनारसी पत्नी मूलचन्द का हिस्सा 4/9 हक हिस्सा था, उक्त हिस्से में से प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 ने दिनांक 13.03.2006 को 0.0694 हैक्टर भूमि का वादिया के हक में एक विक्रय पत्र उप पंजीयक झुन्झुनूं के यहां पंजीबद्ध करवा कर मौके पर कब्जा काश्त संभला दिया। तब से वादी उक्त भूमि पर भौतिक रूप से काबिज काश्त है। पटवारी हल्का को उक्त विक्रय पत्र की प्रति दिये जाने के उपरान्त भी उक्त विकय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण वादिया ने वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादिया ने वाद पत्र में निवेदन किया है कि विक्रय पत्र के अनुसार वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी को विक्रय पत्र के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की सहमति प्रदान की है। सरकार की ओर से प्रतिवादी नं. 5 ने भी वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

पत्रावली पर वादी को सुना गया तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन यह स्पष्ट है कि वादिया ने विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2006 के द्वारा भूमि क्रय की है अतः ग्राम दीपलवास, तहसील झुन्झुनूं की भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 0.22 हैक्टर में प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से 4/9 में से 0.0694 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। लिहाजा :

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम दीपलवास पटवार हल्का उदावास तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 0.22 हैक्टर में प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से 4/9 में से मुताबिक विक्रय पत्र 0.0694 हैक्टर भूमि का वादिया श्रीमती मंजू देवी पत्नी महावीर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनूं निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहरीर जारी हो। वाद का खर्चा वादी स्वयं वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner